ईश्वर सिंह बनाम [illegible] सिंह वगैरह

[illegible] प्रक. — 1384/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	हस्ताक्षर किये। वकील वादीगण ने [illegible] आपसी [illegible] का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष [illegible] अनुतोष अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का [illegible] किया तथा वादपत्र में तकास्मा से संबंधित अनुतोष प्रत्याहृत किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने की सहमति प्रदान की। जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19.04.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
19.04.23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षीय विगत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 19/04/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
138 / 2021	2021 / 234	01.12.2021	19.04.2023

उनवान प्रकरण

1. ईश्वर सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 70 वर्ष
2. प्रभु सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 60 वर्ष
3. देवी सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 56 वर्ष
4. हेम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 51 वर्ष
5. मोती सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 53 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

–वादीगण–

बनाम

1. कल सिंह पुत्र भूर सिंह उम्र 82 वर्ष
2. हनुमान सिंह उर्फ हणमान सिंह पुत्र भूर सिंह उम्र 80 वर्ष
3. बाल सिंह पुत्र भूर सिंह उम्र 70 वर्ष
4. अचरज कंवर पुत्री केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 65 वर्ष
5. दरियावपुत्री केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 60 वर्ष
6. नाथू सिंह पुत्र केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 50 वर्ष
7. मंगेज कंवर पुत्री केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 52 वर्ष
8. मनोहर कंवर पुत्री केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 48 वर्ष
9. मेहताब उर्फ मकतुल कंवर पत्नि केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह उम्र 90 वर्ष
10. सुरेश कंवर पुत्री केशर सिंह उर्फ केशरी सिंह [illegible] 55 [illegible]
11. जीवराज सिंह पुत्र नन्द सिंह दादा हरनाथ सिंह [illegible]
12. भवानी सिंह पुत्र नन्द सिंहदादा हरनाथ सिंह उम्र [illegible] वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

19/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13. विमला कंवर पत्नि नन्द सिंह श्वसुर हरनाथ सिंह उम्र 75 वर्ष
14. जोध सिंह पुत्र हरनाथ सिंह उम्र 75 वर्ष
15. मान सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 59 वर्ष
16. किशन सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 54 वर्ष
17. रतन कंवर पुत्री नारायण सिंह उम्र 70 वर्ष
18. सज्जन कंवर पुत्री नारायण सिंह उम्र 62 वर्ष
19. कौशल्या कंवर पत्नि भैरूसिंह उम्र 60 वर्ष
20. रेणु कंवर पुत्री भैरूसिंह उम्र 40 वर्ष
21. गोपाल सिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 32 वर्ष
22. मनोज कंवर पुत्री भैरूसिंह उम्र 30 वर्ष
23. पिंकी कंवर पुत्री भैरूसिंह उम्र 30 वर्ष
24. विष्णु सिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 28 वर्ष
25. सजन कंवर पत्नि भागीरथ सिंह उम्र 74 वर्ष
26. विक्रम सिंह पुत्र रतन सिंह पौत्र भागीरथ सिंह उम्र 34 वर्ष
27. सोहन सिंह पुत्र रतन सिंह पौत्र भागीरथ सिंह उम्र 32 वर्ष
28. संतोष कंवर पुत्री श्री भागीरथ सिंह उम्र 52 वर्ष
29. राजू कंवर पुत्री भागीरथ सिंह उम्र 48 वर्ष
30. आशा कंवर पुत्री भागीरथ सिंह उम्र 45 वर्ष
31. सदा कंवर पत्नि देवी सिंह उम्र 51 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

32. पटवारी, पटवार हल्का हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
33. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
34. उपपंजीयक अजीतगढ
35. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

36. निरमला कंवर पुत्री मनोहर सिंह पौत्री सवाई सिंह उम्र 35 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

37. दौलत कंवर पुत्री मनोहर सिंह पौत्री सवाई सिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

तरतीबि प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

श्री विक्रम सिंह बांकावत , एडवाकेट वादीगण की ओर से

श्री जितेन्द्र कुमार गौड एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 9, 12 ता 31

श्री निखिल शर्मा एडवाकेट प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से ।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 35 की ओर से

वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरंण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 804 रकबा 0.14है0 , खसरा नम्बर 805 रकबा 0.10है0 , खसरा नम्बर 806 रकबा 0.12है0 , खसरा नम्बर 807 रकबा 0.03है0 , खसरा नम्बर 808 रकबा 0.23है0 , खसरा नम्बर 810 रकबा 0.23है0 , खसरा नम्बर 811 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 812 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 813 रकबा 0.25है0,खसरा नम्बर 814 रकबा 0.27है0,खसरा नम्बर 815 रकबा 0.30है0, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.29है0कुल किता 12 कुल रकबा 2.16है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 803 रकबा 0.44है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.37है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81है0 अवस्थित तन ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है । जिसके हिस्सा 1/3 भाग पर वादी एव तरतीबि प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । कृषि भूमि भूमि खसरा नम्बर 803 रकबा 0.44है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.37है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81है0 अवस्थित तन ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है ।जिसके हिस्सा 1/3 भाग पर वादी एव तरतीबि प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त वर्णित अराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण एवं तरतीबि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

19/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर ... श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । जिसकी वर्तमान खातेदारी हिस्सा 1/20– 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, हिस्सा 1/28–1/28 भाग प्रतिवादी संख्या 4 ता 10, हिस्सा 1/27 –1/27 भाग प्रतिवादी संख्या 11 ता 13, हिस्सा 1/9 भाग प्रतिवादी संख्या 14, हिस्सा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के मृतक पिता नारायण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह के नाम, हिस्सा 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 19 ता 24 के मृतक पिता/पति भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम, हिस्सा 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 25 ता 30 के मृतक पिता/दादा भागीरथ सिंह पुत्र भूरसिंह के नाम, हिस्सा 1/9 भाग की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 31 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है । उक्त वर्णित अराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । जिसकी वर्तमान खातेदारी हिस्सा 1/20– 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, हिस्सा 1/28–1/28 भाग प्रतिवादी संख्या 4 ता 10, हिस्सा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के मृतक पिता/पति नन्द सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, हिस्सा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 14, हिस्सा 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 19 ता 24 के मृतक पिता/पति भैरूसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम, हिस्सा 1/20 भाग प्रतिवादी संख्या 25 ता 30 के मृतक पिता/दादा भागीरथ सिंह पुत्र भूरसिंह के नाम, हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 31 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है । उक्त वर्णित भूमि में वर्णित आराजीयन के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयान के पुराने खसरा नम्बर निम्नानुसार है:–

हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर	हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
804	912	811	919
805	912 91[illegible]	812	920
806	915	[illegible]	920
807	91[illegible]	[illegible]	919
808	917	[illegible]	919
810	915	[illegible]	919

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

19/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

803	913	809	914

वादीगण व तरतीबि प्रतिवादीगण सवाई सिंह के वारिसान है । जिनका सजरा खानदान वादपत्र में वर्णितानुसार है । वादीगण के पिता का नाम सवाई सिंह था । वादीगण से पूर्व उनके पिता सवाई सिंह जी उक्त वादग्रस्त आराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा शान्ति से काश्त करते चले आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के पिता सवाई सिंह के नाम हिस्सा 1/3 की खातेदारी दर्ज नही होकर उक्त भूमि की खातेदारी सर्वथा गलतरूप से प्रतिवादीगण के बुजुर्गान नारायण सिंह वल्द हरनाथ सिंह हिस्सा 1/2, भुर सिंह वल्द गज सिंह हिस्सा 1/4 केसरी सिंह वल्द सांवल सिंह हिस्सा 1/4 दर्ज हो गई । जिनका सजरा खानदान वादपत्र में वर्णितानुसार है । उक्त वादग्रस्त भूमियों के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण के पिता सवाई सिंह पुत्र दल सिंह काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। काश्तकारी अधिनियम लागु होने के बाद भी उक्त वादग्रस्त आराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण एवं वादीगण से पूर्व उनके पिता सवाई सिंह बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण के पिता सवाई सिंह का नाम उक्त भूमियों की खसरा गिरदवारियों संवत 2016–2019, 2028–2031, 2032 – 2035 में बतौर काबिज काश्तकार हिस्सा 1/3 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है। । वादीगण के पिता सवाई सिंह की मृत्युपरांत वादीगण उक्त भूमि पर बतौर काबिज काश्तकार चले आ रहे है । उक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी अधिकारों के प्रमाण स्वरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 के साबिक बुजुर्गान/खातेदारनारायण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, भागीरथ सिंह पुत्र भूर सिंह ने स्वयं अपनी ओर से एवं साबिक खातेदारान हनुमान सिंह, बाल सिंह, भैरू सिंह, केशर सिंह की ओर से एक रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12. 1978 को उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में वादीगण के हक में तहरीर व तकमील करवाया । उक्त रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12.1978 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 के साबिक बुजुर्गान/खातेदारनारायण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, भागीरथ सिंह पुत्र भूर सिंह निष्पादक का भाग /निष्पादककर्तागण ने स्पष्टरूप से अंकित किया कि ... हनुमान सिंह, बाल सिंह व 1/2 तथा मुझ निष्पादक भागीरथ सिंह व मेरे ... भैरूसिंह के भाग बराबर 1/4 तथा स्वर्गीय श्री केशर सिंह पुत्र सांवल सिंह भाग 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
19/04/23

निवासी हाथीदेह हरदासकाबास के नामांकित है , किन्तु इस भूमि बीच उक्त जिसकी स्थिति पूर्व मे श्री सेडू सिंह आदि की पश्चिम मे ग्राम खीरोटी मन्दकापुरा की व उत्तर को श्री बन्ने सिंह आदि की तथा दक्षिण को श्री फूल सिंह आदि की भूमियों के मध्यवाली सम्पदा के भाग 1/3 की भूमि को पूर्व समय से हमारे कौटुम्बिक भागीदारान श्री ईश्वर सिंह, मनोहर सिंह, व प्रभूसिंह, देवीसिंह, मोती सिंह, हेमसिंह पुत्रान श्री सवाई सिंह राजपूत निवासी हाथीदेह हरदास का बास भाग बराबर उक्त वर्णित चाह सुप्रसिद्ध रैबारीवाली से सिंचाई कर कृषि आज तक निरंतन करते चले आ रहे है । हमने उक्त कृषक एवं वास्तविक हकदारान से आपसी सम्बन्ध पूर्ववत मधुर रखकर भू लेखों को आदिनांक कराने को हमों से मुझ नारायणसिंह निष्पादक ने अपनी ओर से तथा मुझ भागीरथ सिंह निष्पादक ने अपनी तथा अपने कनिष्ठ उक्त भ्रातागण हनुमानसिंह, बालसिंह, भैरूसिंह की लगातार बाहर रहकर यहां अनुपस्थिति के कारणवश उनकी तथा स्वर्गीय श्री केशर सिंह उक्त खातेदारान के देहान्त हो जाने से उनके पुत्र उत्तराधिकारी एकमात्र चि0 नाथूसिंह अवयस्क आयु 8 वर्ष जो मेरी संरक्षता मे अपना विकास कर रहा है की ओर से भूमि का व अन्य कार्यो का उत्तरदाई होने से इन सब की ओर से उक्त भूमि के भाग 1/3 का अधिकार खातेदारी याने स्वामित्व उक्त छहो भ्राता कृषकों को भाग बराबर प्रदान कर सर्वाधिकार बनाकर परिवर्तन सदैव के लिए कर दिया है ताकि प्राप्तकर्ता अधिकारी भूलेखों में अपने नामांकित करवाकर स्वतंत्र स्वामी बन जावे । उक्त परिवर्तित सम्पदा उक्त खातेदारी के सिवा अन्य प्रकारो से निर्विवाद व भार तथ करो से मुक्त उक्त प्राप्तकर्त्तावों के आधिपत्य की भूमि होते हुये भी भविष्य मे हमारी अथवा अनुपस्थित खातेदारों की ओर से किसी प्रकार की लेख अथवा कथन द्वारा पूर्ती कराने का पूर्ण उत्तरदाइत्व हमारा व हमारे उत्तराधिकोरियों का होगा । इस प्रकार वादीगण व तरतीबि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग का राजस्व रिकोर्ड अपने नाम दर्ज करवाने के विधिक आधिकारी है । उक्त रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12.1978 निष्पादित करने के बाद भी [illegible] व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी मृतक खातेदारान केशर सिंह के नाम दर्ज [illegible] वारिसान द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही नही किये जाने के कारण [illegible] अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12.1978 लेख के आधार पर सहमति के बयान व हस्ताक्षर किये जाने पर ही उक्त हिस्सा 1/3 भाग भूमि की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत अवगत करवाया । इस पर वादीगण कई मर्तबा प्रतिवादीगण से उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में मृत चले आ रहे खातेदारान का विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज करवाने बाबत कहते रहे । जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को हमेशा आश्वासन दिया जाता रहा कि जैसे ही उक्त भूमि से मृत खातेदारान का विरासत का नामान्तकरण खुलकर उक्त भूमि की खातेदारी वारिसान के नाम दर्ज हो जायेगी तब ही हम सब प्रतिवादीगण आपके हक में हिस्सा 1/3 भूमि की खातेदारी दर्ज करवाकर राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवा देगे । अर्सा करीब साल भर पूर्व मृत खातेदार केशरी सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 द्वारा विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के बाद वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को उक्त हिस्सा 1/3 भाग भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दुरस्त करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा समयाभाव, कोविड 19 के चलते चल रहे लोकडाउरन आदि की बात कहकर टालमटोल करते रहे । अर्सा करीब पन्द्रह दिन पूर्व वादिगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाने बाबत दुबारा कहा तो उनके द्वारा वादीगण को कहा कि हम सभी एकसाथ एक जगह उपस्थित नही हो सकते । काम धंधे व नौकरी पेशा के चलते कभी कोई बाहर चला जाता है तथा कभी कोई । तुम न्यायालय में इस बाबत दावा पेश कर दो । हमारे में जैसे जैसे प्रतिवादीगण आते रंहेगे वैसे वैसे तुम्हारे पक्ष में बयान व हस्ताक्षर करके उक्त 1/3 हिस्से का राजस्व रिकोर्ड तुम्हारे नाम करवा देगे, बिना न्यायालय में दावा किये तुम्हारे राजस्व रिकोर्ड नाम नही करवायेगे । इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक में राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने से मना कर दिया । इसलिये वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ । इस प्रकार वादीगण संख्या 1 ता 5 उक्त भूमि के हिस्सा 1/18–1/18 भाग एवं तरतीबि प्रतिवादिया संख्या 36 व 37 हिस्सा 1/18 भाग अर्थात् कुल 1/3 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है । उक्त वादग्रस्त आराजीयान के हिस्सा 1/3 भाग से प्रतिवादी संख्या [illegible] का नाम हजफ फरमाया जाकर उक्त भूमि के हिस्सा 1/18–1/18 [illegible] हिस्सा 1/18 भाग की तरतीबि प्रतिवादिया संख्या 36 व 37 (अर्थात् कुल 1/3 [illegible] का वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादीगण) को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरम[illegible] जाना न्यायहित में आवश्यक है । उक्त वादपत्र की मद संख्या 1 ता 2 में वर्णित भूमि मुतनाजा का बंटवारा नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

17/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण को सख्त हकतलफी हैं। भूमि का विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादीगण की भूमि मुतनामा में बेजा हरकतों से वादी का भूमि को शामिल में काश्त करना व उपयोग उपभोग करना मुश्किल हो गया हैं। वर्तमान भूमियों की बढती हुयी कीमते के कारण लोगो के मन में बदयान्ति आती जा रही है । इसलिए उक्त वर्णित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस तकास्मा करवाया जाकर हिस्सेनुसर तन्हा खातेदारी अलग–अलग अंकित किया जाना व उसके अनुसार अलग–अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वर्तमान भूमियों की बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओ को विशिष्ठ भू–भाग को बैचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कराने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नहीं रहे है । उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 भाग भूमि का राजस्व रिकोर्ड गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है । इसलिये वादीगण के हिस्सा 1/3 भाग भूमि के संबंध में राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाया रखा जाना अति आवश्यक है । इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं।वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया किउक्त वर्णित आराजीयान भूमि खसरा नम्बर 804 रकबा 0.14है0 , खसरा नम्बर 805 रकबा 0.10है0 , खसरा नम्बर 806 रकबा 0.12है0 , खसरा नम्बर 807 रकबा 0.03है0 , खसरा नम्बर 808 रकबा 0. 23है0 , खसरा नम्बर 810 रकबा 0.23है0 , खसरा नम्बर 811 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 812 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 813 रकबा 0.25है0,खसरा नम्बर 814 रकबा 0.27है0,खसरा नम्बर 815 रकबा 0.30है0, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.29है0कुल किता 12 कुल रकबा 2.16है0 एवं खसरा नम्बर 803 रकबा 0.44है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.37है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81है0 अवस्थित तन ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है के 1/18–1/18 भाग का वादी संख्या 1 ता 5 को एवं हिस्सा 1/18 भाग का तरतीबि प्रतिवादिया संख्या 36 व 37 (अर्थात् कुल 1/3 भाग का वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादीगण) को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा तनासिक असर स्वरूप उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 भाग के राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 का नाम हजफ फरमाया जावे । उक्त वर्णित आराजीयान का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 31 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस तकास्मा करवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादगीण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि का का अलग अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग से जमाबंदी जारी की जावे तदप्रमाणिक असर नक्शा प्रतिवादीगण का नाम वादी व तरतीबि प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाया जावे तथा राजस्व नक्शे में वादी एवं तरतीबि प्रतिवादी के हिस्से की अलग से सींव कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाई जावे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 35 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया ।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । जिस पर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 9, 13 ता 16, 19 ता 30 ने मय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौड एडवोकेट उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 6, 12, 17 , 18 व 31 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने वकालतनामा पेश करते हुए उनकी ओर से ईकबालिया जबाब दावा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा ने वकालतनामा पेश करते हुए उसकी ओर से ईकबालिया जबाब दावा पेश किया । वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 व 10 के विरूद्ध वाद विड्रा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 व 10 के विरूद्ध वाद विड्रा की अनुमति प्रदान की गई । प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 35 की तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 35 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 के खिलाफ वादपत्र विड्रा किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 के विरूद्व वादपत्र विड्रा किए जाने की स्वीकृति दी गई । साक्ष्य वादी में गवाहान पीडब्लु 1 ईश्वर सिंह, पीडब्लु 2 प्रभु सिंह, पीडब्लु 3 देवी सिंह, पी डब्लु 4 नाथू सिह, पी डब्लु 5 मनोहर सिंह के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 101, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 100 ,प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 4 [illegible] संवत् 2069–2072,प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2069–2072, प्रदर्श 6 [illegible] संवत् 2065–[illegible] जमाबंदी संवत 2065–2068, प्रदर्श 8 जमाबंदी खाता [illegible] 9 जमाबंदी संवत् 2065–2068,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2053–2056, प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत् 2049–2052, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2045–2048, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2042 (आधार वर्ष), प्रदर्श 14 जमाबंदी संवत् 2042 (आधार वर्ष), प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2031–2034, प्रदर्श 16 जमाबंदी संवत् 2027–2030, प्रदर्श 17 जमाबंदी संवत् 2023–2026, प्रदर्श 18 गिरदावरी संवत् 2032–2035, प्रदर्श 19 गिरदावरी संवत् 2016–2019, प्रदर्श 20 गिरदावरी संवत् 2028–2031, प्रदर्श 21 रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12.1978 पेश किये । वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियो का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र मे अंकित अनुतोष मे वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया तथा वादपत्र मे तकास्मा से संबंधित अनुतोष प्रत्याहृत किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर वकील प्रतिवादीगण को तकास्मा से संबंधित अनुतोष को प्रत्याहृत करने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया । जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकोर्ड प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम वादपत्र में अंकितानुसार राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है । उक्त वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इनके पुराने खसरा नम्बर निम्न तालिका के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में होना दर्शित होते है ।

हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर	हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
804	912	811	919
805	912 915मी	812	920
806	915	813	920
807	916	[illegible]	919
808	[illegible]	[illegible]	919
810	915	[illegible]	919
803	913	809	914

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2031–2034, प्रदर्श 16 जमाबंदी संवत् 2027–2030, प्रदर्श 17 जमाबंदी संवत् 2023–2026 से उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान नारायण सिंह वल्द हरनाथ सिंह हिस्सा 1/2, भूर सिंह वल्द गज सिंह हिस्सा 1/4 , केसरी सिंह वल्द सांवल सिंह हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज होना दर्शित होता है । जो कि बाद में अन्य प्रदर्शित जमाबंदी दस्तावेजात प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 101, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 100 ,प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2069–2072,प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2069–2072, प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत् 2065–2068, प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत् 2065–2068, प्रदर्श 8 जमाबंदी खाता नम्बर 103, प्रदर्श 9 जमाबंदी संवत् 2065–2068, प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2053–2056, प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत् 2049–2052, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2045–2048, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2042 (आधार वर्ष), प्रदर्श 14 जमाबंदी संवत् 2042 (आधार वर्ष) से विरासत के नामान्तकरण के कम में वादपत्र में अंकित तथ्यानुसार वर्तमान प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड दर्ज होना दर्शित होता है । प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2031–2034, प्रदर्श 16 जमाबंदी संवत् 2027–2030, प्रदर्श 17 जमाबंदी संवत् 2023–202 में दर्शित उक्त साबिक खातेदारान का सजरा खानदान वादपत्र में वर्णितानुसार न हो या अन्य कोई वारिस हो इस संबंध में कोई एतराज व दस्तावेज पक्षकारान का पत्रावली में नही आया है । खसरा गिरदावरीयां प्रदर्श 18 गिरदावरी संवत् 2032–2035, प्रदर्श 19 गिरदावरी संवत् 2016–2019, प्रदर्श 20 गिरदावरी संवत् 2028–2031 में वादीगण के पिता सवाई सिंह का नाम हिस्सा 1/3 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होना प्रकट होता है । इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श 21 रजिस्टर्ड अधिकार परिवर्तन लेख दिनांक 12.12.1978 है । उक्त प्रदर्श 21 में साबिक रिकोर्डेड खातेदार नारायण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, भागीरथ सिंह पुत्र भूर सिंह ने एवं साबिक खातेदारान हनुमान सिंह, बाल सिंह, भैरू सिंह, केशर सिंह की ओर से अधिकार परिवर्तन लेख निष्पादित करते हुए स्पष्टरूप से अंकित किया कि " मुझ नारायणसिंह निष्पादक का भाग 1/2 तथा मुझ निष्पादक भागीरथ सिंह व मेरे सगे कनिष्ठ भ्राता हनुमान सिंह, बाल सिंह, भैरू [illegible] के भाग बराबर 1/4 तथा स्वर्गीय श्री केशर सिंह पुत्र सांवल [illegible] हरदासकाबास के नामांकित है , किन्तु इस भूमि क्षेत्र उक्त जिसकी स्थिति पूर्व में श्री सेडू सिंह आदि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

19/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पश्चिम मे ग्राम खीरोटी मन्दरूपपुरा की व उत्तर को श्री बन्ने सिंह आदि की तथा दक्षिण की श्री फूल सिंह आदि की भूमियो के मध्यवाली सम्पदा के भाग 1/3 की भूमि को पूर्व समय से हमारे कौटुम्बिक भागीदारान श्री ईसर सिंह, मनोहर सिंह, व प्रभुसिंह, देवीसिंह, मोती सिंह, हेमसिंह पुत्रान श्री सवाई सिंह राजपूत निवासी हाथीदेह हरदास का बास भाग बराबर उक्त वर्णित चाह सुप्रसिद्ध रैबारीवाली से सिंचाई कर कृषि आज तक निरंतर करते चले आ रहे है। हमने उक्त कृषक एवं वास्तविक हकदारान से आपसी सम्बन्ध पूर्ववत मधुर रखकर भू लेखों को आदिनांक कराने को हममें से मुझ नारायणसिंह निष्पादक ने अपनी ओर से तथा मुझ भागीरथ सिंह निष्पादक ने अपनी तथा अपने कनिष्ठ उक्त भ्रातागण हनुमानसिंह, बालसिंह, भैरूसिंह की लगातार बाहर रहकर यहां अनुपस्थिति के कारणवश उनकी तथा स्वर्गीय श्री केशर सिंह उक्त खातेदारान के देहान्त हो जाने से उनके पुत्र उत्तराधिकारी एकमात्र शिशु नाथूसिंह अवयस्क आयु 8 वर्ष जो मेरी संरक्षता मे अपना विकास कर रहा है की ओर से भूमि का व अन्य कार्यो का उत्तरदाई होने से इन सब की ओर से उक्त भूमि के भाग 1/3 का अधिकार खातेदारी याने स्वामित्व उक्त छहो भ्राता कृषकों को भाग बराबर प्रदान कर सर्वाधिकार हटाकर परिवर्तन सदैव के लिए कर दिया है ताकि प्राप्तकर्ता अधिकारी भूलेखों में अपने नामांकित करवाकर स्वतंत्र स्वामी बन जावे । उक्त परिवर्तित सम्पदा उक्त खातेदारी के सिवा अन्य प्रकारो से निर्विवाद व भर तथ करो से मुक्त उक्त प्राप्तकर्तावों के आधिपत्य की भूमि होते हुये भी भविष्य में हमारी अथवा अनुपस्थित खातेदारों की ओर से किसी प्रकार की लेख अथवा कथन द्वारा पूर्ती कराने का पूर्ण उत्तरदाइत्व हमारा व हमारे उत्तराधिकोरियों का होगा । उक्त प्रदर्श 21 से वादीगण का वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना एवं 1/3 हिस्से के कानूनन हक अधिकारी होना प्रकट होता है । इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 9, 13 ता 16, 19 , 20, 21 , 22 ता 30 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या 6, 12, 17 , 18 व 31 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दावा से भी वादीगण का वादपत्र साबित होता है: । वादीगण के वादपत्र अंकित कथनो की ताईद साक्ष्य वादी में वादीगण एवं गवाहान के मुख्य परीक्षण [illegible] सिंह, पीडब्लु 2 प्रभु सिंह, पीडब्लु 3 देवी सिंह व गवाहान पीडब्लु 4 [illegible] सिंह से भी होती है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से वादीगण [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 804 रकबा 0.14है0 , खसरा नम्बर 805 रकबा [illegible] , खसरा नम्बर 806 रकबा 0.12है0 , खसरा नम्बर 807 रकबा [illegible] , खसरा नम्बर 808 रकबा 0.23है0 , खसरा नम्बर 810 रकबा 0.23है0 , खसरा नम्बर 811 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 812 रकबा 0.10है0,खसरा नम्बर 813 रकबा 0.25है0,खसरा नम्बर 814 रकबा [illegible],खसरा नम्बर 815 रकबा 0.30है0, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.29है0कुल किता 12 कुल रकबा 2.16है0 एवं खसरा नम्बर 803 रकबा 0.44है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.37है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81है0 अवस्थित तन ग्राम हाथीदेह पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/18–1/18 भाग का वादी संख्या 1 ता 5 को , हिस्सा 1/18 भाग का तरतीबि प्रतिवादिया संख्या 36 व 37 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता तथा उक्त कुल 1/3 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 का नाम हजफ फरमाया जाता है । उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरस्ती व राजस्व रिकोर्ड दर्ज किये जाने हेतु [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाते है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

[illegible]

दिलीप सिंह

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

[illegible]

दिलीप सिंह

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested